पंचम माला, खंड 44, अंक 31, शनिवार, 31 अगस्त, 1974/9 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLIV, No. 31, Saturday, August 31, 1974/Bhadra, 9, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 44 में अंक 31 से 38 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित सस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31, शनिवार, 31 अगस्त, 1974/9 भाद्र, 1896 (शक)

No. 31, Saturday, August 31, 1974, Bhadra 9, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE/पृष्ठ
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	1
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper laid on the Table	8
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings	8
कार्यवाही सारांश—सभा-पटल पर रखा गया	Minutes—Laid	8
सभा का कार्य	Business of the House	9
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah . . .	9
कूच-बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re: C. R. P. Firing at Cooch Behar	9
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	9
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1974-75	Supplementary Demands for Grants (General) 1974-75	10
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	10
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi .	11
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	12
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . .	14
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	14
श्री विश्व नारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	16
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	17
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	18
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena .	18
श्री डी० के० बरुआ	Shri D. K. Borooah .	20
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	20
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdev Prasad Verma	21
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . . .	22
श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari . .	23
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik	24
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	25
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha . . .	26
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidhheshwar Prasad .	27
श्री शाहनवाज़ खां	Shri Shahnawaz Khan .	28
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh .	29

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 31 अगस्त, 1974/ 9 भाद्र, 1896 (शक)
Satvrdar, August 31, 1974/Bharda 9, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Speaker in the Chair

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर): मैंने प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आज हम सामान्य कार्य लेंगे। अन्य सभी प्रस्ताव सोमवार को लिये जायेंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka): You should allow a discussion today. The decision may be given on Monday.

अध्यक्ष महोदय : आज मैं कोई प्रस्ताव नहीं ले रहा हूं। आज सामान्य कार्य के अतिरिक्त और कोई प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा।

Shri **Madhu Limaye** : You might have seen the report published in 'National Herald' that the Prime Minister has said to these members that the parliamentary probe will not be accepted.

Shri Shyam Nandan Mishra: (Begusarai) Kindly first listen to us and after that give your decision.

अध्यक्ष महोदय : आज अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा। अन्य सभी प्रस्ताव सोमवार को लिये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। सदन की सहमति के बिना प्रस्ताव किस प्रकार वापस लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : सदन को इस बात का पता हुये बिना ही कोई भी सदस्य किसी भी समय अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है।

Shri Shyamnandan Mishra : If the Chair will connive with the ruling party will not allow the business of the House to proceed.

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : आप उन्हें बैठने के लिये क्यों नहीं कहते ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
[Mr. Dy. Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मामले इस प्रकार नहीं निपटाये जा सकते । अतः अच्छा यही है कि आप में एक या दो मिनट सभी के विचार सुने जायें । कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा ।

श्री मधू लिमये : प्रस्ताव परिचालित किया गया है नोटिस नहीं । यह एक विशेषाधिकार का नोटिस है । अतः मैं इसे पढ़ रहा हूं ।

28 अगस्त, 1974 को, प्रो० चट्टोपाध्याय, श्री एल० एन० मिश्र तथा पांडिचेरी की फर्मों को लाइसेंस देने की सिफारिशों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले कथित 21 सदस्यों के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार नोटिस पर सभा में चर्चा हुई । दोनों पक्षों के सदस्यों को सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये ।

"यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है;"

"हमें ध्यान देकर कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिये"

"मैं तुरन्त कोई व्यवस्था नहीं दे सकता.....

हम इस विषय पर फिर विचार करेंगे.....

तथा प्रक्रिया अपनाने पर भी विचार करेंगे"

इस प्रकार मामले को गम्भीर समझते हुये यह कहा गया कि इस पर फिर विचार किया जायेगा । मैंने एक प्रस्ताव दिया कांग्रेस सदस्यों से भी प्रस्ताव आये हैं । उनमें से कुछ अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं ।

जब मामला सदन में अनिर्णीत है तब क्या प्रधान मंत्री सदन की अवहेलना कर सकती हैं । प्रधान मंत्री सारे मामले को दबा देना चाहती हैं। नेशनल हैंराल्ड में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री ने सदस्यों को संसदीय जांच के लिये आग्रह न करने तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का परामर्श दिया है ।

यह गम्भीर मामला है । इस सदन की अत्यधिक मानहानि हुई है । यह मामला केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से नहीं निपट सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके नोटिस के बारे में अभी जानकारी हुई है । हमें मामले पर शान्तिपूर्ण ढंग से चर्चा करनी चाहिये । श्री गोस्वामी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह उचित नहीं होगा कि विशेषाधिकार हनन के बारे में मैं भी अपनी शिकायत करूं और तत्पश्चात दूसरे पक्ष की बात सुनी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपको स्मरण होगा कि मैंने पहले वाणिज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। वह अभी तक अनिर्णीत है। इसी बीच विशेषाधिकार हनन तथा सदन की मानहानि का एक और मामला सामने आगया है। आपको याद होगा कि 20 सदस्यों ने लाइसेंस दिलाने के लिये सिफारिश पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार किया है। और उन्होंने इस मामले की संसदीय जांच के लिये एक समिति बनाने की भी सिफारिश की है। अब हमें पता चला है कि सदस्य पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपना पत्र, अथवा प्रस्ताव वापस लेलें। समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने अपने प्रस्ताव वापस लेने के नोटिस अध्यक्ष को भेजे हैं। हम यह बात जानना चाहते हैं कि क्या इन्होंने कोई ऐसा अनुरोध आपसे किया था और क्या अभी पत्र वापस देने की प्रक्रिया आरम्भ नहीं हुई है।

दूसरी बात यह है कि अन्य सदस्यों ने भी संसदीय जांच के लिये प्रस्ताव दिये हैं। इस विषय पर दो प्रस्ताव आ चुके हैं।

तीसरे सदन मामले से स्पष्टतया अवगत है। अध्यक्षपीठ मामलें की पूर्ण जांच कराना चाहतें थें। प्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री ने प्रस्ताव वापस लेने के लिये कहा है। इसका परिणाम प्रकट हो गया है। हमें जो बुलेटिन मिला है उसमें उन सदस्यों का नाम नहीं है। उन्होंने अपने नोटिस वापस ले लिये हैं। मेरी शिकायत यह है कि संसदीय कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री दोनों ने ही विशेषाधिकार का हनन किया है।

अध्यक्ष को किए गए अनुरोधों को वापिस लेने के लिए दोनों दबाव डाल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 28 अगस्त को लाइसेंस घोटाले के मामले में विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। स्वयं अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया था कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। कांग्रेस सदस्यों द्वारा प्रगट किए गए विचारों को भी स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन 29 अगस्त के 'नेशनल हेराल्ड' समाचारपत्र में छपी खबर आश्चर्यजनक है। समाचार में कहा गया है कि लाइसेंस घोटाले से उत्तेजित कांग्रेसी सदस्य प्रधान मंत्री से मिले और मांग की कि मामले की जांच करने के लिये संसदीय समिति गठित की जाए। प्रधान मंत्री ने उन्हें बताया कि संसदीय समिति मामले की जांच करने में समय लगाएगी इसलिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराना बेहतर होगा। 30 अगस्त, 1974 के बुलेटिन में यह प्रकाशित हुआ है कि सर्वश्री भोला राऊत और रामशेखर प्रसाद सिंह ने संसदीय समिति की नियुक्ति के मामले में पेश किए गए प्रस्ताव में अपने नामों को वापिस ले लिया है। इसी प्रकार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे लेख में कहा गया है कि श्रीमती गांधी ने खुले आम स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पहले ही इस मामले की जांच कर रहा है। इसलिए एक और समिति का गठन नहीं किया जाना चाहिए। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सदन के सदस्यों पर दबाव डालने में श्रीमती गांधी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी और इस प्रकार उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है। जब प्रस्ताव को विधिवत समाचार भाग में रखा जा चुका है तो क्या पीठासीन अधिकारी को प्रस्ताव को सभा में रखे स्वेच्छा से वापिस लेने का अधिकारी है ? मेरे विचार में यह ठीक नहीं है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम संख्या 225 में कहा गया है कि अध्यक्ष यदि नियम 222 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार

प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा । इस मामले में नियम संख्या 225 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देकर अध्यक्ष महोदय ने स्वेच्छा से उसे वापिस ले लिया । दूसरे, अध्यक्ष महोदय की सहमति के बिना भी सभा में विशोषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं । विशेषअधिकार के मामले में हम स्वयं चिंतित हैं और चाहते हैं कि सारे तथ्यों को प्रकाश में लाया जाए । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया शोर न करें और माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने दें ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यह मामला बहुत गम्भीर है क्योंकि इस में 20 सदस्य अन्तर्ग्रस्त हैं अभी तक सदन ने यह निर्णय नहीं किया है कि इस मामले की जांच करवाई जाए अथवा नहीं । प्रत्येक दल के सदस्य को इस मामले में अपनी राय प्रकट करने का पूरा अधिकार है। यह भी आरोप लगाया गया है कि दो सदस्यों ने दबाव में आकर अपने नाम वापिस ले लिए है । लेकिन मेरे विचार में सदन के सदस्यों पर दबाव नहीं डाला जा सकता । वे अपने विचारों को प्रकट करने में पूरी तरह स्वतन्त्र हैं । इसलिए विशेषाधिकार भंग आरोप लगाने वाले सदस्यों ने ही किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : हम भी कुछ कहना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप धैर्य रखें । मैं सबकी बातें सुनूंगा । संसदीय कार्य मंत्री का विशेष उत्तर-दायित्व है । उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए । (**व्यवधान**) शांति रखिए ।

संसदीय कार्य मत्री(श्री के० रघुरामैया) : प्रतिपक्ष ने यह गम्भीर आरोप लगाया है कि प्रधान मंत्री और मैने सदस्यों पर दबाव डाला है । यह आरोप निराधार, असंगत तथा झूठा है । किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक सदस्य की बात पहले ही सुन रहा हूं । आप बाद में अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री के० रघुरामैया : दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि सरकार स्वयं को बचाना चाहती है और मामले की जांच करवाना नहीं चाहती। मैं इस आरोप का पुरजोर खंडन करता हूं । सरकार जांच करवाने के लिए तैयार है । सरकार का कर्तव्य है कि वह इस मामले की जांच करवाए । सरकार आपने आपको बचाने का प्रयास नहीं कर रहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सबको अवसर दूंगा । मैंने उन बातों को भी नोट कर लिया है जिन पर मुझे विनिर्णय देना है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे । यह बात सदन् के नियमों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सदस्यों ने अपनी इच्छा से प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव वापिस लेने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, जैसा कि आज के समाचार भाग-II, से स्पष्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगु सराय) : संसदीय कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा सभा के अवमान के संबंध में मैंने विशिष्ट रूप से शिकायत की है । और संसदीय कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में सफाई पेश करने के लिए आ रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां तक प्रधान मंत्री का संबन्ध है, वह उनके बारे में अथवा उनकी ओर से सफाई नहीं दे सकते इस पर मुझे एतराज है । अपने दल की बैठकों में वह किसी भी मामले पर मनमाने ढंग से विचार कर सकते हैं किन्तु अपने विचारों का प्रसार नहीं कर सकते । चाहे यह सरकारी विज्ञप्ति नहीं है फिर भी समाचारपत्र इसे प्रकाशित कर रहे हैं । वह हमेशा अपनी कार्यकारिणी समिति की प्रक्रियाओं का प्रचार करते हैं । मुझे इस पर आपत्ति है ।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं निश्चित और विशिष्ट रूप से कहता हूं कि हमपर प्रस्ताव वापिस लेने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया है । मामलों पर चर्चा हेतु हम हमेशा अपने दल के नेता से बातचीत करते हैं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): We are not at all concerned with what they discuss in their party meetings, but the point is the day this question was raised in this House, the hon. Deputy Minister, Shri A. C. George, and the Railway Minister, Shri L. N. Mishra had given clarifications. Prior to that nineteen members said that their signatures are forged ones but only one member has admitted and he too is absent today. What I want to submit is that parliamentary probe is necessary as it is a question of the dignity of this House. In the past, in case of Shri Mudgal there had been such a probe and he was compelled to resign. To keep up the tradition such a probe must be held.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am raising my point of order under rule 31. It says "A list of business for the day shall be prepared by the Secretary General and a copy thereof shall be made available for the use of every member". Today we have not been able to proceed with the business according to the order paper because the members of the opposition have tabled a privilege motion. I want to submit that what has transpired in the Congress executive meeting is our internal party matter and it should not be brought up in the House. Let us therefore leave this matter and proceed with the business mentioned in todays order paper.

Shri N. N. Pandey (Gorakhpur): Every member has a right to send a motion and if he so likes he can withdraw it also. This is the normal practice in a parliamentary system. A member is no where debarred from withdrawing a motion he has tabled.

As regards the question whether there should be a parliamentary probe or C. B. I. inquiry, this will ultimately be decided by the House. Let us therefore not devcte any more time on this discussion.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : यह बहुत ही गंभीर मामला है । इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए । पूरा सदन इस पर आन्दोलित है । समाचारपत्रों में अधिक प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं । अत: इन बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिए । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच तो सरकार की सुविधा के लिए है । वह मामले की जांच कर सकते हैं और साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं । परन्तु सी० बी० आई० वाले कोई निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि यह सरकार का मामला नहीं है । इस मामले का संबंध सभा से है ।

1951 मे ऐसा ही मामला उत्पन्न हुआ था । तब उस समय के प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस मामले का सारे सदन के साथ सम्बन्ध है । वही दृष्टिकोण इस मामले में भी अपनाया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा (जम्मू) : यह कहा गया है कि जिन सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है उन पर संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव वापिस लेने के लिए दबाव डाला है । यह आक्षेप सर्वथा गलत है । मैं उस बैठक में स्वयं उपस्थित था ।

उस समय सभी उपस्थित सदस्यों ने इस बात पर बल दिया था कि जांच शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। (**व्यवधान**) जांच के लिए कौन सी एजेंसी पर विश्वास किया जा सकता है, इसके बारे में मतभेद हो सकता है तथा भिन्न-भिन्न सदस्यों की राय भिन्न हो सकती है। मैं अपने विपक्षी सदस्यों मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जांच के वातावरण को दूषित न करें तथा जांच द्वारा सत्य को प्रकाश में आने दें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संसदीय समिति अपनी जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सहयोग ले सकती है परन्तु हम यह नहीं चाहते कि जिस मामले का सम्बन्ध सम्पूर्ण सदन की गरिमा से हो, उसके बारे में शासक दल प्राइवेट तौर पर कुछ करता रहे।

श्री पी० जी० सावलकर (अहमदाबाद) : कुछ दिन पूर्व मैंने वाणिज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था । अब मैं यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मामला कोई दलगत मामला नहीं है । यह मामला समूचे सदन का है । सदन में शासकदल चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह इस पूरे सदन का तो एक भाग ही रहेगा और एक भाग चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, पूरा सदन नहीं बन सकता। अतः हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हम दल के मामलों को राष्ट्रीय मामलों से कभी न जोड़ें।

आज स्थिति दूसरी है। यह प्रस्ताव प्रधान मंत्री के विरुद्ध है और वह दल की नेता होने के साथ सदन की भी नेता हैं । यदि वह बहुत अधिक ईमानदार हैं तो उन्हें सभा को यह बताना चाहिए कि आखिर बीच में क्या बात हुई है ? उन्हें सभा को यह आश्वासन देना चाहिए था कि जो कुछ भी सदस्यों तथा उनके बीच हुआ है उसका संसदीय जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु खेद की बात यह है कि प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, संसद में उठे मामलों को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं करते हैं। यदि वह गम्भीरता से बात करते तो शायद यह मामला यहां उठता ही नहीं।

मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन शासक दल के कम से कम दो सदस्यों ने संसदीय जांच की मांग का समर्थन किया था परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि आज वही सदस्य सी० बी० आई० की जांच की बात कर रहे हैं। मैंने दो दिन पहले भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं कि सी० बी० आई० की जांच ठीक नहीं होगी। यह मामला सम्पूर्ण सदन की गरिमा से सम्बद्ध है और संसदीय समिति ही इसकी जांच पूर्ण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकेगी।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : दल के नेता को अपने दल के सदस्यों को सलाह देने का अधिकार है । आखिर प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था कि सी० बी० आई० द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और इन परिस्थितियों म ससदीय जांच की आवश्यकता नहीं है। सी० बी० आई० की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रतिपक्ष वाले इसे फिर उठा सकते है। इस में भला विशेषाधिकार का प्रश्न कहां से आ गया ? दल के नेता की सलाह मानना तो सदस्यों का कर्तव्य ही है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव का संबंध सम्पूर्ण सदन से है तथा इस मामले को दलगत परिधि में नहीं बांधा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में प्रधान मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। मैं सामान्य मामलों में सी० बी० आई० की जांच के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु मेरी आपत्ति केवल यही है कि संसद सदस्यों को सी० बी० आई० की जांच का विषय नही बनाया जाना चाहिए। अतः इस मामले की संसदीय जांच ही होनी चाहिए। जब इस मामले की संसदीय जांच हो रही होगी तो उस समय आवश्यकता पड़ने पर हम सी० बी० आई० की सहायता भी ले सकते है। मेरा निवेदन यही है कि प्रमुसत्ता सम्पन्न संसद सदस्यों को सी० बी० आई० का विषय न बनाया जाये।

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha): It has been stated by two Members of Parliament that they did not signed and their names are being dragged unnecessarily. I feel that people have got more confidence in a Parliamentary Committee as compared to a CBI probe. Hence this issue should be entrusted to a Parliamentary Committee.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ मामलों को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा यह उठाया गया है कि जब एक प्रस्ताव का नोटिस अध्यक्ष महोदय को दिया जा चुका है, तो फिर क्या सदस्यों द्वारा उसे वापिस लेना उचित है? इस संबंध में मुझे यही स्पष्ट करना है कि जब तक प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत न किया गया हो, सदस्य उसे वापिस ले सकते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी ने नियम 225 (1) के अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बन्धी मामला उठाया है। उनका मत है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में विशेषाधिकार का मामला नहीं उठाया जा सकता। मैं उनकी मत से सहमत हूं। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है। यह विशेषाधिकार के मामले से कहीं बड़ा है। अतः सभा में आने से पहले बुद्धिमत्ता की बात यह होगी कि अध्यक्ष महोदय सदस्यों तथा दलों के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर यह विचार कर लें कि इसे कैसे निपटाया जा सकता है?

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने प्रश्न उठाया है कि यदि किसी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाये उस स्थिति में क्या संसदीय कार्य मंत्री उस व्यक्ति की ओर से उत्तर दे सकते हैं। हमने अब तक यह परिपाटी अपना रखी थी कि संसदीय कार्य मंत्री कई बार प्रधान मंत्री की ओर से बोलते हैं।

श्री मधु लिमये (बांका) : परन्तु विशेषाधिकार के प्रश्न पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपनी व्यवस्था नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल परिपाटी की बात कर रहा हूं और विशेष रूप से कार्य मंत्रणा समिति में ऐसा होता है। सभा के कार्य के बारे में निर्णय सभा के नेता के परामर्श के साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाता है। सभा के नेता के स्थान पर सामान्यतया सारी बात का निर्णय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है।

श्री शंकर दयाल सिंह ने नियम 31 की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जिस बात पर सहमति हो चुकी है उसी प्रकार चलना चाहिए। मेरा विचार है कि व्यवस्था के इस प्रश्न का निपटान इस प्रकार नहीं किया जा सकता।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसे इस प्रकार से नहीं निपटाया जा सकता। आप में से अनेक सदस्यों ने संसदीय जांच की मांग की है। कुछ सदस्यों ने प्रस्तावों की भी सूचना दी है। मेरे विचार से इस प्रश्न पर चर्चा का अवसर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय इस बारे में सदस्यों व सभा के नेता से बातचीत करके प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

इस मामले के साथ कुछ सदस्यों का नाम जोड़ा गया है जिससे यह मामला लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। समाचारपत्रों में इसके बारे में लिखा गया है (**अन्तर्बाधाएं**) इन परिस्थितियों में हमें संसद के नाम को साफ करना है जिससे लोगों में संसद के प्रति विश्वास फिर से पैदा हो। इसलिये हमें मामले पर उचित गंभीरता से विचार करना है। (**अन्तर्बाधाएं**)

हम कई बार संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की बात करते हैं। परन्तु हम अपने कर्तव्यों व अपने उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा व्यवहार संसद सदस्य के अनुरूप है। जब निजी रूप से कुछ किया जाये तो वह अलग मामला है परन्तु जब संसद सदस्य के रूप में कोई बात की जाये तो उसका अपना अलग ही महत्व है। इस मामले में संसद सदस्यों पर आरोप हैं कि उन्होंने संसद सदस्य की हैसियत से गलत काम किया है। इस स्थिति में क्या हम अपने प्राधिकार छोड़कर जांच का काम बाहर के किसी तन्त्र को दे दें? इस बात का हमें निर्णय करना है। आपने अपनी बात कह दी है और मुझे आशा है कि इन पर सब बातों को ध्यान में रख कर अध्यक्ष महोदय उचित निर्णय करेंगे।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

Paper Laid on the Table

टायर और ट्यूब (लाने-ले-जाने पर नियन्त्रण) आदेश, 1974

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं, श्री सी० सुब्रह्मण्यम की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत टायर और ट्यूब (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1974 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० का० 273(ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखीं गई। देखिए संख्या एल०टी० /74]**

श्री सेझियान (कुम्भकोणम्) : अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल, 1974 की है। विलम्ब से सभा पटल पर रखने के कारण नहीं बताये गये हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी: मैं पता करके बाद में सभा को सूचित कर दूंगा।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Committee on Public Undertakings

कार्यवाही सारांश

श्री तजेन्द्र प्रसाद यादव (कटिहार): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के निम्नलिखित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के बारे में 55वें प्रतिवेदन से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) इण्डिया ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के बारे में 56वें प्रतिवेदन से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने कल सभा को बताया था कि सिक्किम के बारे में संविधान संशोधन विधेयक 2 तारीख को पुनः स्थापित किया जायेगा और 3 तारीख को उस पर विचार किया जायेगा। सदस्यों ने विचार व्यक्त किया था कि उसके लिए बहुत कम समय दिया गया है। अतः अब सरकार का विचार 3 तारीख के स्थान पर उक्त विधेयक को 4 तारीख को विचार करने के लिये प्रस्तुत करने का है।

कूचबिहार में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में वक्तव्य

Statement re: CRP Firing at Cooch-Behar

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 27 अगस्त, 1974 को लगभग 2 बजे अपराह्न उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस कूच-बिहार नगर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों को ले जाने वाली केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक गाड़ी से टकरा गई। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों और वहां एकत्रित हुए स्थानीय लोगों के बीच कहा-सुनी हो गई। कहा-सुनी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक कांस्टेबल ने गोली चला दी जिसमें दो व्यक्ति, एक अध्यापक श्री शंकर चक्रवर्ती और एक छात्र प्रदीप राय जो जेकिन्स स्कूल, कूच-बिहार के थे, घायल हो गये। बाद में श्री चक्रवर्ती 28-8-1974 को प्रातः 8 बजे चोट के कारण मर गया।

2. 27 अगस्त, 1974 को घटना को लेकर भीड़ एक दम अनियंत्रित होकर आवेश में आ गयी। उन्होंने उपायुक्त, सब-डिवीजनल अधिकारी, केन्द्रीय आबकारी तथा आयकर, जिला न्यायालय तथा पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में आग लगा दी। क्षति का अनुमान अभी पूर्णरूप से किया जाना है। आगजनी करती हुई अनियंत्रित भीड़ को पुलिस ने अश्रु गैस तथा गोली चला कर तितर-बितर किया। जिला प्राधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया। पुलिस के दस्ते अनेक स्थानों पर तैनात किये गये। सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस की टुकड़ियों ने नगर में गश्त लगाना आरम्भ कर दिया। अब कर्फ्यू हटा लिया गया है।

3. केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस का कांस्टेबल, जिसने गोली चलाई, मुअत्तल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। कर्फ्यू के उल्लंघन और आगजनी के कारण 73 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। घटना की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है।

4. स्थिति नियंत्रण में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) : इससे दो बातें स्पष्ट हैं कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने गोली चलाकर दो व्यक्तियों की हत्या की। जिस समय वह राज्य सरकार की ओर से ड्यूटी पर नहीं थी। अतः इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर आता है। दूसरे सत्तारूढ़ दल के दो प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बिना सोचे-समझे और बिना किसी उकसाहट के गोली चलाई गई।

कुछ दिन पूर्व उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किसी स्थान पर भाषण करते हुए कहा था कि इस सरकार ने 1947 और 1974 के बीच जितनी बार गोलियां चलाई हैं उतनी बार तो अंग्रेजों ने अपने दो शताब्दियों के शासन में भी नहीं चलाई थीं। सरकार छोटे-छोटे बहानों पर सेना तैनात कर देती है। मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि कूच-बिहार से एकदम सभी केन्द्रीय

बलों को वापस बुलाने के आदेश दिये जायें। यह भी बताया जाये कि इस प्रकार का अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? **अन्तर्बाधाएं**

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इन्होंने कहा है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कान्स्टेबिल ने ऐसे समय गोली चलाई जब वह ड्यूटी पर नहीं था और सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है। उसके प्राप्त होने पर ही बताया जा सकता है कि क्या कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही बताया जा सकता है कि गोली बिना किसी आधार के चलाई गई अथवा नहीं। रिपोर्ट के राज्य सरकार से शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। **(अन्तर्बाधाएं)** यह बल आन्तरिक सुरक्षा के लिए नियुक्त किये जाते हैं। कानून व व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सरकार इन बलों के उपयोग के लिए अनुरोध करती है व उन्हें अनुमति दी जाती है। यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन बलों का कहां पर उपयोग किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गोली राज्य सरकार के अधिकारी के आदेश पर नहीं चलाई गई। उस समय यह बल वहां पर राज्य सरकार की ओर से तैनात नहीं थे।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह कहना गलत है कि इस सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार से अधिक बार गोली चलाई है। गोली तो अंतिम उपाय के रूप में चलाई जाती है। इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (आसग्राम) : इस गोली कांड के साथ सम्बद्ध एक अन्य घटना है जिसमें मार्क्सवादी नेता की कांग्रेसी गुण्डों ने हत्या की और विधान सभा के एक भूतपूर्व सदस्य को गंभीर रूप से जख्मी किया गया। यह भी कूच-बिहार में ही हुआ है। माननीय मंत्री ने इस का कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये घटनायें घटित हुई थीं ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : कूचबिहार की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और वह, जो कि विद्यार्थी है, घायल अवस्था में अभी भी अस्पताल में है। इसके अतिरिक्त माताभंग नगर में भी एक घटना हुई। उसके बारे में हमें राज्य सरकार से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु हमारे अपने स्रोतों से हमें पता चला है कि वहां पर मार्क्सवादी दल और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक झड़प हुई और उसमें मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट नेता, श्री खेती भट्टाचार्य और एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री दिनेश धाकुका छुरेबाजी से घायल हुए। बाद में श्री भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई और श्री धाकुका हस्पताल में दाखिल कराये गये थे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1974-75

Supplementary Demands for Grants (General), 1974-75

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : इन मागों की राशि सामान्य बजट की अनुदानों की राशि से अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार की विचारधारा युक्तियुक्त नहीं है।

अब जो नई स्थिति उत्पन्न हो रहीं है उसका क्या कारण है ? क्या इस अवधि में कोई असामान्य घटना घटी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है परन्तु फिर भी सरकार स्थिति से निपटने के लिए कठोर

कदम उठा रही है। बताया जा रहा है कि मुद्रास्फीति विश्व व्यापी घटना है। उसे एक सीमा तक रोकने के लिए और कराधान वेतन वृद्धि पर रोक तथा अन्य उपाय किए जा रहे हैं। परन्तु यदि हम मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति के संबंध में विभिन्न देशों के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि हमारे देश की स्थिति अन्य सभी पूंजीवादी देशों से अधिक खराब है। सरकार को देखना चाहिये कि समाजवादी देशों ने क्या-क्या उपाय किए हैं क्योंकि उनमें न तो मूल्य वृद्धि हुई है और न ही मुद्रा स्फीति।

रुपये का मूल्य निरन्तर गिर रहा है। सन् 1948 में जो एक रुपया था वह 1974 में गिर कर 28 पैसे रह गया है। इसका कारण यह है कि देश में प्रवृत आर्थिक प्रणाली के कारण रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। सारी अर्थ-व्यवस्था एकाधिकारियों, जमींदारों व मुनाफाखोरों के हितों के लिए चलाई जा रही है इस के कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि आदि की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

कुछ दिन पूर्व हमने देखा कि सरकार को बाध्य होकर गेहूं तथा चावल के थोक व्यापार की नीति को त्यागना पड़ा। इसके साथ ही व्यापारियों को मूल्य बढ़ाने का निर्बोध अवसर दिया गया है। इस प्रकार की बातें देखकर किसी को विश्वास नहीं होता कि सरकार के इन उपायों से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और देश को इस बढ़ते संकट से बचाया जा सकेगा।

देश की इन समस्याओं को हल करने की बहुत आवश्यकता है। देश का हित चाहने वालों ने बार-बार कहा है कि इस समस्याओं के वास्तविक हल के लिए भूमि सुधार नियमों को कार्यन्वित किया जाये। बड़े-बड़े जमींदारों से भूमि लेकर भूमिहीन निर्धन कृषि श्रमिकों व अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लोगों में बांटा जाये। एकाधिकारी उद्योंगो का राष्ट्रीयकरण किया जाये, थोक व्यापार का सरकारीकरण हो व मूल्यों पर नियन्त्रण हो। केवल तभी हमारे उद्योगों का विकास हो सकता है, तभी लोगों का असन्तोष समाप्त हो सकता है। सरकार आज विपरीत उपाय कर रही है। लोगों का दमन किया जा रहा है। केन्द्रीय रिर्जव पुलिस द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। सरकार को बदलना होगा अन्यथा लोग बाध्य होकर सरकार को अपने को बदलने को मजबूर कर देंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 352.07 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। यह बताना आवश्यक नहीं है कि देश इस समय ऐसे गंभीर आर्थिक संकट में से गुजर रहा है जो कि स्वतन्त्रता के पश्चात अपने ढंग का पहला है। इस संकट का सामना करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं।

इस स्थिति के लिए सरकार को ही दोष नहीं दिया जा सकता। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा की अनिश्चितता व बाढ़ समस्या के कारण लोग दुखदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उड़ीसा में एक साथ ही बाढ़ व सूखें की समस्या चल रही है। इसके कारण वहां स्थिति बहुत गंभीर है। इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्षा में विलम्ब के कारण खरीफ फसल की सम्भावनाओं पर प्रभाव पड़ा है जिसके कारण चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खुले बाजार में मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त नहीं है खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि के कारण श्रमिक वर्ग अपने काम छोड़ कर इधर-उधर चला गया है। जिससे उद्योग भी प्रभावित हुए हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा के लिए अधिक मात्रा में खाद्यानों की सप्लाई करनी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों को इस समय जो सप्लाई की जा रही है वह अपर्याप्त है। बालासोर

और कटक जिले जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं और यदि सरकार ने तत्काल वहां पर बीजों तथा धन की व्यवस्था नहीं की तो खरीफ की फसल की कोई आशा नहीं रहेंगी।

उर्वरकों के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण कृषक इसका उपयोग करने में समर्थ नहीं रहे। इससे उनकी स्थिति पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वे वर्ष की शेष अवधि में अपने गुजारे से भी असमर्थ हो जायेंगे। सरकार को बालासोर और कटक जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना होगा और वहां पर अधिक खाद्यान्न भेजना होगा, क्योंकि ये जिले बाढ़ से अधिक प्रभावित ए हैं। तभी, राज्य सरकार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक साप्ताहिक कोटा दे सकेगी।

सरकार ने पारादीप पत्तन के विकास की उपेक्षा की है। जिसके फलस्वरूप पत्तन से मिले क्षेत्रों के लोग और वे लोग जो अपने जीवन-निर्वाह के लिए इसी पत्तन पर निर्भर हैं, कठिनाई में पड़ जायेंगे। अतः उस पत्तन को रेल द्वारा मिलाने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये।

सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए कुछ राशि की व्यवस्था की है। हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि सरकार इस संयंत्र को विकसित करने के लिए उपाय कर रही है। उक्त संयत्र में हालत ठीक नहीं हैं। समाचर मिला है कि प्रबन्ध वर्ग की कुछ गैर-सरकारी पार्टियों से सांठ-गांठ थी और उसके फलस्वरूप प्रबन्ध को राजस्व में कुछ हानि हुई है। मंत्री महोदय की इस मामले की जांच करनी चाहिये ताकि उड़ीसा के इस एक मात्र सरकारी संयंत्र से कोई हानि न हो।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं। सरकार ने 352 करोड़ रुपये की अनुदानों की मांगें पेश की हैं जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। सरकार आयकर की बकाया राशि सम्पत्ति कर की बकाया राशि और कालेधन का पता लगाकर संसाधन नहीं जुटा सकती। तथाकथित मुद्रा स्फीति विरोधी उपायों को लागू करने के बाद भी वस्तुओं के मूल्यों में 134 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है और यह सरकार 352 करोड़ रुपये और चाहती है।

वसूली मूल्यों में अच्छी फसल होने के बावजूद भी वृद्धि की गयी है। बाजार में महंगाई अंधाधुंध बढ़ी है। अब भी हमें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि मूल्यों में गिरावट हो रही है और सरकार मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार के होते मूल्यों में गिरावट कभी नहीं आ सकती।

वनस्पति निर्माता वनस्पति उत्पादन की बजाय मार्गरीन का उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि इसमें अधिक लाभ कमाने की गुंजाइश होती है। 1973-74 के दौरान हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने 146.02 लाख रुपये का लाभ विदेशों को भेजा है।

स्थिति यह है कि उन्होंने एक वर्ष में 1.50 करोड़ से अधिक रुपया विदेशों में भेजा है। हिन्दुस्तान लीवर ने एक वर्ष में 125 टन मार्गरीन का विक्रय किया। इसमें उन्हें 2,500 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त लाभ होता है। बंबई में हेमा कुकिंग मार्गरीन एक किलो के पैकटों में भारी संख्या में बेचा जा रहा है। हिन्दुस्तान लीवर की गाजियाबाद फैक्टरी से 85,000 टिन डालडा पकड़ा गया था। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वनस्पति उद्योग का शीघ्र राष्ट्रीकरण किया जाये

मांग संख्या 8 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को 1.25 करोड़ रुपए की राज सहायता देने का उपबन्ध है। इसके अधिकारियों के विरुद्ध कई आरोप लगाये गये हैं। उन आरोपों का क्या हुआ है।

मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिए कि हिन्दुस्तान लीवर के विरुद्ध लगाए गये गम्भीर आरोपों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मांग संख्या 19 सुरक्षा सेवाओं के बारे में है। इसमें कहा गया है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक न्यायाधीश की स्थापना की आवश्यकता है। किन्तु आज तक वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई हैं। रक्षा विभाग में विभिन्न वर्गों के कर्मचारी हैं उन्हें कम वेतन मिलता है। इस बारे में कोई समन्वय नहीं हुआ है।

मांग संख्या 38 वित्त मंत्रालय के अन्य व्यय जुलाई, 1974 को प्रस्थापित अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप)—अध्यादेश 1974 के लिए है। महंगाई भत्ते की प्रत्येक बढ़ी हुई किश्त के लिए सरकार को 50 करोड़ रुपया व्यय करना पड़ता है। राज सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए सस्ते खाद्यान्न की दुकानें खोलने की बात सरकार को स्वीकार नहीं है। जून में देय महंगाई भत्ते की अदायगी की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। महंगाई भत्ते की इस राशि को अनिवार्य जमा (निक्षेप) में न जोड़ा जाये क्योंकि अध्यादेश जुलाई से लागू होता है।

मांग संख्या 48 केन्द्रीय रक्षित पुलिस के बारे में है। किन्तु कई ऐसे उदाहरण हैं जबकि केन्द्रीय रक्षित पुलिस के कर्मचारियों की गतिविधियां बड़ी आपत्तिजनक रही हैं जैसे नागा लड़कियों के साथ बलात्कार या कूच-बिहार में एक अध्यापक को मारना आदि।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह अत्यन्त गम्भीर मामले हैं। मंत्री महोदय को इन पर वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला कई बार उठाया गया है। एक बार जब नागा लड़कियों पर अत्याचार का मामला उठाया गया था तब मैंने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने को कहा था। अब मैं निदेश तो नहीं दूंगा परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार को पता लगाना चाहिए कि तथाकथित बातें ठीक हैं अथवा नहीं। यदि सरकार मौन रहती है तो देश में कोई भी प्रतिक्रिया हो सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस मामले में मेरे पास फोटो स्टैट कॉपी तथा मैडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। मैं तथ्यों के अभाव में कभी वक्तव्य नहीं देता। मुझे लोक सभा सचिवालय ने बताया है कि अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कह दिया है।

मांग संख्या 65 का सम्बन्ध सिंचाई तथा विद्युत् और विद्युत् योजनाओं से है। बिजली की सप्लाई में वृद्धि की जानी चाहिए। कृषक बिजली की दर में कमी की मांग कर रहे हैं, किन्तु सरकार उसे स्वीकार नहीं कर रही है।

कलकत्ता में सभी कारखाने बिजली की कमी के कारण वस्तुतः बंद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 40 प्रतिशत कारखानों को ही बिजली उपलब्ध है। कई कारखानों में एक पारी में ही उत्पादन हो रहा है।

प्रधान मंत्री ने तथा देश ने परमाणु विस्फोट पर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की थी। परमाणु उर्जा का बिजली के उत्पादन में उपयोग क्यों नहीं कर पाते ? मुझे दिल्ली तथा कानपुर में अपने टेलीफोन पर

10,000 रुपया देना पड़ता है परन्तु इन लोगों के पास कई-कई बिना नम्बर के टेलीफोन हैं जिनपर व्यय नहीं देना पड़ता आज लोग किसी न किसी बहाने विदेश जाते हैं तथा अपने बच्चों को मिल आते हैं । प्रश्न यह है कि क्या यह देश के व्यय पर किया जाना चाहिए ।

मंत्री महोदय हमें स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या मूल्य में कमी होगी या नहीं ? मुझे खेद से कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार ऐसा करने में बुरी तरह विफल रही है । आज मुद्रा स्फीति रोकने के नाम पर वे कर्मचारियों के वेतनों पर रोक लगाना चाहते हैं । इस प्रकार सरकार केवल अपनी गलतियों पर परदा डालना चाहती है ।

मुझे इस स्थिति से चियांग काई शेंक के समय के चीन की स्थिति में समानता प्रतीत होती है ।

Shri Hari Singh (Khurja): The country is today in the grip of a grave economic crisis and Government have taken very effective measures to meet the situation. The Minister of Finance deserves all praise for the action he has taken to check smuggling and Tax-evasion. The only method of bringing in economic prosperity in the country is to change the life of the peasant, the backbone of agricultu e. The agriculturists must get water, seeds, fertilisers at reasonable rates. If these basic needs are fulfilled we need not spend huge sums on subsidy. The problem of floods and draughts is also to be solved an a permanent basis. More attention should be paid to improve the conditions in the villages. Larger funds should be allocated for undertaking such programmes for the construction of roads in rural areas.

I support the expenditure on defence personnel. In fact much is required to be done for the rehabilitation of ex-servicemen. Their experience in defence fences should be utilised by giving them suitable jobs after there discharge from the units. They should be given all financial assistance to start their own industries on quota should be fixed for giving them employment apportunities.

In Narora, an atomic power station has been under construction but the progress of the work has been too slow. The Government should allocate more funds to expedite it, completion. The Status of Agriultural college at Lakhavati should be revised to a university. There is no milk processing Plants in my district. If one is set u p at Dadri, 30 miles from Delhi it would be able to meet the demand of milk for Delhi also. My district namely Bulandshahar has been supplying youngmen for recruitment to various defence forces. It is, therefore quite advisable that a sainik relief centre be set up there to train the talented people for undertaking jobs in defence forces.

With these wants I support the Supplementary Demands for Grant.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : इस बार अनुपूरक मांगों की भावना का पालन नहीं किया गया । बजट एक समन्वित प्रक्रिया है । वित्त विधेयक पेश करना अथवा अनुपूरक मांगों पर विचार करना संपूर्ण बजट का अंग नहीं । इसे एक दूसरे से संबंध नहीं माना जाना चाहिये । अनुपूरक मांगों के इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है । यदि यह सामान्य बजट है तो स्थिति को अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिये था ।

352 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है । महंगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप 112 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है । किन्तु इस मांग में इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

इस विवरण में अनुमानित अतिरिक्त व्यय 463 करोड़ रुपये है । अतिरिक्त करों के द्वारा 123 करोड़ रुपये वसूल किये जायेंगे और 200 करोड़ रुपये की बचत की जायेगी । इस तरह वास्तविक घाटा 140 करोड़ रुपये रह जायेगा ।

घाटे की अर्थव्यवस्था अनाप-शनाप बढ़ रही है । संसद् को इस मामले में अंधेरे में रखा गया है कि मुद्रा छापने की क्या स्थिति है । अमरीका का वित्त विभाग अपनी इच्छानुसार घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं कर सकता । इसकी अधिकतम सीमा नियत है । यदि वे इससे अधिक की घाटे की अर्थ-व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसे प्रतिनिधि सभा के सामने लाना होता है । भारत में इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है । मेरा सुझाव है कि अर्थ-व्यवस्था को स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिये । जब भी यह बजट उल्लिखित अंतर से अधिक हो उसे मुद्रा के अधिक मात्रा में छापने या बैंक ऋण लेने से पहले सभा के समक्ष मंजूरी के लिये आना चाहिये ।

केन्द्र द्वारा जो ऋण लिये जाने हैं, विदेशी सहायता ली जाती है, इसमें राज्यों, को विश्वास में नहीं लिया जाता । जब कभी भी बजट में उल्लिखित सीमा से बाहर घाटे की अर्थ-व्यवस्था की एक संघीय अर्थ-व्यवस्था में संसद् की सहमति ली जाये । ऋणों के संबध में भी केन्द्र और राज्यों के ऋण आवंटन पत्रों की जांच करने के लिये एक विकास बैंक अथवा एक संघीय ऋण परिषद् की स्थापना करना उचित होगा ।

आजकल काले धन पर छापे डाले जाने की अधिक चर्चा की जाती है परन्तु अभी उसके परिणाम देखने अभी बाकी हैं ? मुझे इतना तो मालूम नहीं है कि इसकी मात्रा कितनी होगी परन्तु कुछ आशाएं बनी हैं ...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : एक सिंधी विधवा को पकड़ा गया है ।

श्री सेज्ञियान : चाहे वह विधवा हो या न हो, जिस किसी के पास काला धन है, उस काले धन का पता लगाना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने 40 किलो वजन वाली सोने की छड़ें जब्त की हैं ।

श्री सेज्ञियान : यदि वांचू समति के प्रतिवेदन को देखा जाये तो पता चलेगा कि वर्ष 1961-62 में 700 करोड़ रुपये के करों की चोरी की गई है । जब उन्होंने 1968-69 में करों की चोरी का पता लगाया तो वह चोरी 1400 करोड़ रुपये तक बढ़ गई थी । वर्ष 1964-65 से 1970-71 की अवधि के दौरान कराधान विधियों की सभी शक्तियों के साथ विभाग केवल 7 करोड़ रुपये के आस पास काले धन का पता लगा सका है । जबकि करों की चोरी 700 करोड़ रुपये से बढ़ कर इस अवधि में 1400 करोड़ रुपये हो गई है ।

लोक लेखा समति ने स्पष्ट सिफारिश की है जो डाक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों जैसे स्वनियोजित व्यक्तियों के बारे में हैं । 1964-65 में ऐसे स्वनियोजित व्यक्तियों पर कर लगाने के लिये एक योजना तैयार की गई थी और कुछ डाक्टरों तथा वकीलों को नोटिस भी दिये गये थे । मुझे अफसोस है कि बाद में योजना रद्द कर दी गई तथा वे नोटिस वापिस ले लिये गए ।

हमारे समक्ष रखी गई अनुदानो की मांगों के अनुसार भारतीय आकस्मिक निधि से कुछ राशि निकाली जाए नई योजनाओं पर खर्च की गई। इस बारे में मंत्री महोदय विस्तारपूर्वक बताएं ।

पृष्ठ 11 पर लिखा हुआ है कि सी० आर० पी० की एक मोटर-गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर 'मोटर क्लेम्ज ट्राइब्यूनल' के पंचाट से प्रसन्न होकर आकस्मिक निधि से कुल 17,000 रुपये दिये गये । मैं वे ठीक-ठीक तारीखें जानना चाहूंगा जब भारतीय अकास्मिक निधि से राशि निकाली गई और अदा की गई ।

इसके अतिरिक्त पृष्ठ 13 पर यह निर्दिष्ट है कि पंच फैसले से संतुष्ट होकर ब्याज सहित 3,58,000 रुपये का भुगतान किया गया यह पंच फैसला कब हुआ और राशि कब निकाली गई ? यह निकाली गई राशि इसी वित्तीय वर्ष में वापिस की जानी चहिये ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । देश बहुत संकटपूर्ण और आर्थिक कठिनाइयों से गूजर रहा है । सभी वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है ।

एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मैं कह सकता हूं कि वस्तुओं के उत्पादन में कमी ही अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि का कारण है । दूसरी ओर, जो कुछ उत्पादन होता है उसकी वितरण व्यवस्था उचित नहीं है । यह भी मंहगाई का एक कारण है । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बातों के लिये प्रशासन की अफसर-शाही व्यवस्था भी उत्तरदायी है । उदाहरणार्थ, आसाम में नमक उचित दामों पर नहीं मिल रहा है ।

जयपुर स्थित नमक आयुक्त भिन्न-भिन्न राज्यों को उचित समय पर नमक का आवंटन नहीं करता है । इसके अतिरिक्त रेलवे वैगनों भी सप्लाई नहीं करता । नमक आयुक्त और रेलवे बोर्ड के बीच बनावटी कभी पैदा करने की सांठ-गांठ है जिससे वे व्यापारियों को इस बनावटी कमी का अनुचित लाभ उठाने देते हैं ।

इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम भी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है । देश के पूर्वी क्षेत्र में वह उस अनाज का उचित मूल्य नहीं बताता है जिसे वह वसूल कर रहा है । दूसरी ओर वह उसे खुले स्थान में रख कर गलने देता है । थोड़े समय बाद यह कह दिया जाता है कि वह मानव उपयोग के योग्य नहीं है । फिर, बेईमान व्यापारी इसे खरीद कर अन्य खाद्यान्न के साथ मिला कर अधिक महंगा बेच देते हैं । इस निगम को समाप्त किया जाना चाहिये ।

काले धन का पत्ता लगाने के लिये छापे मारे जा रहे हैं । यह अच्छा प्रयास है ।

इस संबंध में सरकार को एक दृढ़ नीति का पालन करना चाहिये जो न केवल छापे मारने की ही हो अपितु जिस नीति से यह भी पता चल सके कि लोगों के पास काला धन आता कहां से है । मंत्री महोदय को इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

हमने देखा है कि देश के पूर्वी भाग में खाद्यान्न की तस्करी होती है । वहां इसे रोकने की व्यवस्था तो है परन्तु वह कार्य नहीं करती है । यदि तस्करी को रोका नहीं गया तो निश्चय ही मूल्य बढ़ेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अधिक सतर्क और दृढ़ रहे ताकि तस्करी को रोका जा सके ।

देश के पूर्वी भाग में प्रति वर्ष बाढ़ से करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है । अंग्रेजों के समय से इस भाग की उपेक्षा की जाती रही है । यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से केन्द्र से दूर होने के कारण इसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें नहीं के बराबर है । वहां के मीलों में कुल क्षेत्र में 10 मील से अधिक क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है । अतः मेरा अनुरोध है कि देश के पूर्वी भाग में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

वहां केवल एक पन-बिजली परियोजना है जिससे आसाम, मेघालय आदि राज्यों की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं । जब तक वहां एक बड़ी पन-बिजली परियोजना नहीं होगी तब तक उस क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकेंगी । यदि बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो नये उद्योग धंधे भी नहीं पनपेंगे। यदि ब्रह्मपुत्र के जल का उपयोग किया जाये तो वहां की अनेक समस्याओं का समाधान हो जायेगा ।

आसाम, मेघालय और नागालैंड तथा आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा-विवाद है । यदि इन्हें शीघ्र नहीं निपटाया गया तो ये बढ़ जायेंगे । अतः मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विवाद को शीघ्र निपटायें ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बारे में कुछ शिकायतें हैं । जहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है वहां वें स्थानीय लोगों की भाषा नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप मामूली बातो पर झगड़े हो जाते हैं । अतः भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये इन बलों के प्रशासन में अधिक अनुशासन होना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka): First of all I would like to say something about the Demands of the Ministry of Food. It is a fact that when there is shortage of foodgrains, the traders resort to profiteering but when there is no scarcity of foodgrains, it cannot be denied, that the expenditure incurred on distribution system by private traders is negligible as compared to that incurred by Government. Since the Government does not want to reduce the expenditure incurred on the distribution system, it has to pay huge amount as subsidy. I want categorical reply as to what steps Government propse to take to reduce the expenditure incurred on management and distriution so that people may get foodgrains at cheap rates.?

I have referred to the increase in milling margin of the roller miles in West Bengal at a number of occasions in this House but Government is still keeping mum. Will you ask the hon.-Minister to give reply or issue any direction to him?

I made a very serious allegation about the theft of 550 kg. of brass from C.O.D. Kanpur but Government has not given any reply. I do not know why the Government has become so shameless?

There is no accommodation for the officers and jawans in the forward areas but when they are posted outside forward areas, they are not provided accommodation. It is an injustice to them. Government should take up the programme of constructing houses for them.

I asked a question a few days back that about 70 'mig' aircraft which had been sent to U. S. S. R. for repair and overhauling. When India herself is able to manufacture 'mig' aircraft, how is it that we cannot repair them? Has it been done under a secret treaty with Russia? But no reply has yet been given in this regard.

A lot of goods are purchased through D. G.S. & D. for the Ministry of Defence. I raised a question in the Defence Ministry's Consultative Committee if it was correct that this agency charged 60 per cent profit margin from these suppliers? The secretary had to accept it that it was a fact. I hope that it will be clarified today on behalf of the Ministry of Defence.

It appears from a telex message of Shri C. Y. Rao that order for supply of 90 C. S. viscosity oil was issued without consulting the Indian standard Institution for our naval ships. Not only this, he allowed 100 viscority oil to be used. through his telex. I would llike to know what action has been taken against the officer who took such arbitrary decision ?

Another matter is about D. M. T. The price of indigenous D. M. T. including 25 per cent excise duty is Rs. 20,000 per tonne while the price of imported D. M. T. is Rs. 38,000 per tonne. Why this gap? These figures have not been clarified.

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borroah): I am giving papers to him today.

Shri Chandrika Prasad (Ballia): The country is passing through economic crisis and the power shortage is mainly accountable for this. On the other hand, due to railway strike, coal could not be supplied to thermal power stations in U. P.

The workers are fighting for their rights in Uttar Pradesh. They are being called Naxalities. The state Government is not clarifying the position. The Union Government should clarify if it is a Naxalite movement or something else ?

A legislation has been enacted in Kerala to safeguard the rights of agricultural labour. The Union Government should also enact a legislation on the same lines to organise the unorganised labour.

Eastern U. P. is in the grip of both floods and drought. Government should undertake a crash programme in order to provide relief to the people.

An Ayurvedic college should be opened in Eastern U. P.

The opium factory at Ghazipur earns foreign exchange worth crores of rupees every year but it is being neglected to-day if this factory is well maintained, it will provide employment to the persons belogning to eastern U. P.

The Gorakhpur Fertiliser Plant is located in eastern U.P. but it does not supply fertilisers to Eastern U. P. I would like to request Government to fix a percentage of fertilisers to be supplied to farmers in Eastern U.P.

Prof S. L. Saksena (Maharajganj): Sir, in the last budget Government did not raise the duty on the Khandsari. But they doubled the duty on khandsari through an executive order This is a case of great injustice to the Khandsari industry which has high employment potential in the rural areas especially in Uttar Pradesh. The abnormal rise in duty on Khandsari will result in large scale unemployment in the rural areas and affect the rural prosperity I, therefore, suggest that this duty should be withdrawn.

It should be considered that sugar Industry has to compete with the only Industry that is Khandsari Industry in the country. Sugar Industry, therefore, wants to eliminate Khandsari industry from the country. The owners of the Sugar industries pressurize the Government to increase the duty on Khandsari. But Government should not yield before these big industrialists in the interest of the farmers and the rural labour otherwise there will be a serious loss to the sugar crop in the country.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ): श्री मधु लिमये ने तीन बातें उठाई हैं, उन्होंने यह अन्य अवसरों पर भी उठाई थी किन्तु तब मुझे उनका उत्तर देने का मौका नहीं मिला। जहां तक मंत्रियों के जन कार्यों का सार्वजनिक स्तर पर विश्लेषण किये जाने का प्रश्न है मैं इस विचार से सहमत हूं क्योंकि लोकतन्त्र की आधारशिला विचार-विमर्श के सिद्धांत पर ही आधारित है।

जहां तक कैप्रोम्लेक्टम का संबंध है यह नियंत्रित उत्पाद नहीं है। इसका उत्पादन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन द्वारा किया जाता है तथा वही उसका मूल्य निर्धारित करती है जिसका आधार बाजार भाव होता है। अब में आयातित कैप्रोलेक्टम के मूल्य का उल्लेख करुंगा। लगभग 10,800 टन कैप्रोलेक्टम का आयात किया गया तथा 1973-74 की अवधि में हंगरी से मंगाये गये कैप्रोलैक्टम का लागत-भाड़ा सहित अधिकतम मूल्य 12,480 रुपये था। एक अप्रैल, 1974 से मई, 1974 के अंत तक 2,100 टन कैप्रोलेक्टम का आयात किया गया तथा उसका विक्रय मूल्य 37,000 रुपया था।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम ने 4 अगस्त, 1974 को कैप्रोलेक्टम का उत्पादन आरम्भ किया तथा उसने अब तक 200 टन कैप्रोलेक्टम का उत्पादन किया है तथा केवल 70 टन कैप्रोलेक्टम की बिक्री की है। अतः यह कहना निराधार है कि निगम ने व्यापारियों से राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सौदा किया है। निगम द्वारा उत्पादित कैप्रोलेक्टम का मूल्य उपभोक्ताओं के लिये 39,500 रुपया प्रति टन निर्धारित किया गया है। अतः आयातित कैप्रोलेक्टम तथा देश में उत्पादित कैप्रोलेक्टम के विक्रय मूल्य में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

जैसा कि आप सभी को विदित है डी० एम० टी० के उत्पादन पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। इसका मूल्य आई० पी० सी० एल० द्वारा निर्धारित किया जाता है। जी० एम० टी० के मूल्यों में भी चढ़ाव-उतार रहता है। 13 अप्रैल, 1973 को इसका मूल्य 6,000 रुपया प्रति टन था तथा 2 मार्च, 1974 को 18,000 रुपया प्रति टन हो गया। 27 जुलाई 1974 से यह घटकर 16,000 रुपया प्रति-टन हो गया। आयातित डी० एम० टी० के मूल्यों में भी समय-समय पर तथा देशवार बहुत अन्तर रहता है। राज्य व्यापार निगम ने जून, 1974 में 200 टन माल मंगाया तथा उसके 10,200 रुपये का भाव से धनराशि अदा की। उस समय उसका अधिकतम मूल्य 12,000 रुपया था। अतः बाजार भाव के अनुसार इसके मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अब हमने यह निर्णय किया है कि डी० एम० टी० का अधिकांश भाग सहकार क्षेत्र को दिया जाये। उस कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर सरकार के पास होंगे तथा 49 प्रतिशत शेयर सहकारी समितियों के पास होंगे। इस संबंध में यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि उस कंपनी का लाभ उद्योगपति उठायेंगे।

दूसरी बात गैर-उर्वरक कार्यों के लिये नेफ्था के मूल्य में कमी के बारे में कही गई थी। हम उर्वरक के मूल्य को कम रखते हैं इसीलिये हमने कुछ वस्तुओं के उपयोग के लिये इसके मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी। नेफ्था के मूल्यों में वृद्धि किये जाने पर हमें बहुत सी शिकायतें मिलीं प्लास्टिक उद्योग को नेफ्था की आवश्यकता होती है। अतः इस उद्योग ने भी शिकायत की, कर्नाटक राज्य सरकार ने भी नेफ्था के मूल्यों में वृद्धि पर शिकायत की है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के अनुसार भी प्लास्टिक उद्योग को भारी क्षति हो रही है।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार नेफ्था के पुनरीक्षित मूल्यों के आधार-कर इससे निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में लगभग 200 रुपयों की वृद्धि होगी। प्लास्टिक उद्योग में लघु

उद्योगों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि अनेक स्नातकों तथा इंजीनियरों को इस संबंध में प्रोत्साहन दिया गया था। वास्तव में उस समस्या पर वित्त, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों के सचिवों, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के मुख्य सलाहकार तथा प्रधान मंत्री के सचिवालय के ओ० एस० डी० की बैठकों में विचार विमर्श किया गया था तथा उस बैठक में यह निर्णय किया गया कि उर्वरक उत्पादन के लिये उपयोग किये जाने वाले नेफ्था के मूल्य को 2,000 रुपये प्रति टन से घटा कर 1,000 रुपया प्रति टन कर दिया जाये। उस पर राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति तथा आर्थिक समिति की संयुक्त बैठक में भी विचार किया गया था।

Shri Madhu Limaye: It appears that the Government did not consider the effect likely to be caused on the Plastic and other industries before the price of naphtha has been increased.

Secondly, the hon. Minister did not mention the name of Mafatlal, Union Carbide, etc. along with the names of Maharashtra state and other complainants.

श्री देवकान्त बरूआ : ये लोग मेरे पास नहीं आये थे वरन सचिव के पास आये थे। सचिव ने उन्हें बताया कि इन बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा। वास्तव में हमें लघु उद्योगों तथा इंजीनियरों आदि की, जिन्हें सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन दिया था, बहुत चिंता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इनके साथ कोई अन्याय न हो। **(व्यवधान)**

कृषि मंत्रालय ने हमें एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि नेफ्था की मूल्य वृद्धि से कीट-नाशी औषधियों के मूल्य बढ़ जाएंगे। नेफ्था औषधियां बनाने के काम भी आता है। अतः बहुत सी औषधियों के दाम भी बढ़ जायेंगे। किन्तु हमने यह कदम किसी बड़े उद्योगपतियों के कहने से नहीं उठाया। यह लघु उद्योग, आई० पी० सी० एल० तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों के कहने पर उठाया गया है। इससे यदि किसी अन्य व्यक्तियों को भी लाभ होता है तो हो।

मैं श्री मधु लिमये के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करने को तैयार हूं। मैं कोई देवता नहीं हूं कि मुझसे कोई त्रुटि ही न हो। किन्तु यदि मुझे कोई मेरी गलती बताये तो मैं मानने को तैयार हूं।

जहां तक रक्षा मंत्रालय को सप्लाई किये गये तेल का सम्बन्ध है, रक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसके अनुसार सप्लाई किया गया तेल पूरी तरह उपयुक्त था। रक्षा मंत्री के वक्तव्य के पश्चात इस प्रश्न के उठाये जाने में कोई औचित्य नहीं है। किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस बारे में मैं जांच करूं तो मैं अवश्य करूंगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : सरकार ने नई विद्युत परियोजनाओं के लिए कुछ धन-राशि मांगी है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि देश में बिजली संकट प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है तथा इस वर्ष तो यह संकट अपनी पराकाष्ठा पर है। बिजली की कमी के कारण औद्योगिक विकास रुक जाता है तथा मजदूरों की आय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किन्तु इतना होने पर भी सरकार ने अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस समस्या पर कब गम्भीरता से विचार करेगी तथा कब सेन्ट्रल ग्रिड तथा सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथारिटी नियुक्त करेगी? सरकार की प्रत्येक योजना के लिये नियत की गई धनराशि का दुरुपयोग किया जाता हैं। अतः इस धनराशि के बारे में भी क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है तथा प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार है । सरकार विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है । किन्तु फिर भी अनेक व्यक्तियों की ओर बिजली की बकाया राशि को वसूल नहीं कर सकती । विभिन्न प्रकार के करों की बकाया राशि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ।

इसके अतिरिक्त विद्युत संदाय अधिनियम 1948 के पुराने उपबन्धों में संशोधन किये जाने में विलम्ब किया जा रहा है जिसके कारण राज्य सरकार अपनी मनमानी योजनाएं बनाती है तथा राज्यों में कोई समन्वय नही है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में बिजली की कमी के लिये मैसूर और तमिलनाडु में पानी को लेकर झगड़ा खड़ा हो जाता है तथा इससे कारखाने बन्द हो जाते हैं तथा मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पादन में कमी के लिए मजदूर उत्तरदायी नहीं है वरन सरकार की दोषपूर्ण नीतियां ही उत्तरदायी हैं। इस गंभीर स्थिति में इंलैक्ट्रिसिटी वर्कर्स फैडरेशन के सुझावों तथा उसकी मांगों की सरकार ने नितांत उपेक्षा की है। उक्त फैडरेशन ने 18 सितम्बर को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का निर्णय किया। विभिन्न राज्यों में बिजली विभाग के श्रमिकों को मिल मजूरी दी जाती है। इतना ही नहीं इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे मजदूरों को देश में बहुत कम मजदूरी दी जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन श्रमिकों के साथ मजूरी के सम्बन्ध में तुरन्त बात-चीत आरम्भ की जाए। तथा यह प्रयत्न किया जाये कि मजूरी सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत समिति सफलतापूर्वक इस समस्या को सुलझाये।

नौवहन और परिवहन के सम्बन्ध में मांग संख्या 76 के बारे में मेरा कहना है कि मद्रास पत्तन पर पत्तन न्यास ने कोड आफ डिसिपलिन को स्वीकार नहीं किया है। वे यूनियनों को मान्यता देने में मनमानी करते हैं जो औद्योगिक सम्बन्धों को खराब करता है। गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों की मांगों पर विचार न किये जाने के कारण उसके सदस्य श्रमिकों को हड़ताल करनी पड़ती है। मेरा प्रश्न है कि पत्तन न्यास उन यूनियनों को मान्यता क्यों नहीं देता जिनके सदस्यों की संख्या अधिकांश है। मद्रास पोर्ट यूनाइटिड लेवर यूनियन को अभी तक मान्यता नहीं दी गई। सरकार को एक आदर्श नियोजन के रूप में काम करना चाहिए किन्तु वह करती नहीं है।

मांग संख्या 38 के अंतर्गत सरकार ने बचत सम्बन्धी उपायों की क्रियान्वित के लिए प्रशासनिक खर्च के रूप में 70 लाख रुपये की मांग की है। आश्चर्य की बात है कि मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के नाम पर सरकार खर्च का एक नया मार्ग खोल रही है।

Shri Sukhdev Prasad Verma (Navada): I rise to support the Demands for grants and also appreciate the steps taken up by the Government to curb price rise and black money. But let me point out that these steps have not yet created any impact on the common man's life. Government should know that a lot of blackmoney is created as a result of corruption in Government Departments, viz., Public works Departments, irrigation Departments and supply Departments etc., where contractors, chief Engineers and other officials pocket about sixty percent of the estimated cost of any project. Therefore, it is quite necessary to look into the working of our own Administration Machinery and rectify the situation the Government should take concrete and effective steps to arrest such evils.

Bihar is at the moment suffering from floods, drought and agitations simultaneously, the heaviest floods since several decades has ruined the crops and the properties. The State Government is not in a position to face the losses and therefore, immediate relief is required.from the Centre to sender help to this most backward state in an hour of crisis.

Although the Centre has sent a team to assess the situation but monetary relief to the State is very urgently required.

Bihar has become a perpetual victim of both floods and Droughts, but no steps are being taken to find out a permanent solution to these natural calamities. Upper Sakari Reservoir, Tilayya Division, Muhana Reservoir and North Kool, all there four Schemes are still under examination since the first Five Year Plan. Bihar Government has not yet been able to submit the Schemes to the centre for approval. The implementation of these schemes could save Patna, Nalanda. Aurangabad, Navada, Bhabra, Shahabad etc. from drought permanently. May I therefore, know what is the progress in respect of these Schemes?

The Central Government had decided to bring at per the backward States by giving them maximum financial helps. Bihar is a very backward State. Then, we had requested the Power Board there to instal a thermal power Station at Tenu Ghat but they did nothing.

There is scarcity of coal and foodgrains. Despite Government's orders, the Textile Mills are not making coarse and medium cloth. Whatever quantity is being produced that is not reaching the hands of the poor to whom it is meant. That shows that there are many defects in our distribution system.

Therefore, I request for a thorough consideration of these matters. with these words, I support the Demands for Grants.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Sir, I rise to oppose these Demands for Grants with Rs. 352.70 crores. They bring forward supplementary demands whenever they like because they have got thumping majority in the House. Otherwise, may I know why there is that deficit? They spent Rs. 70 crores in the last elections and also quite a lot of money was spent when the Prime Minister visited 300 places for inaugurations. Our Masses do not understand what is foreign exchange . They feel the difference only when they are asked to pay more and more taxes.

They have allocated Rs. 125 crores for the new distribution system for foodgrains. Under the present system, they procured at the rate of Rs. 105 a quintal and sold it at Rs. 165. Why this difference of Rs. 60 ? Have they ever looked into the Justifications of spending Rs. 60/- a quintal on the maintenance and transportation of foodgrains.?

More money is sought for Police department since this force is the tool of the Government to crush labour agitations, to recover levies and harrass the poor farmers. Then what is the use of C. R. P. on which a big chuck of money is spent.?

Every day we read about raids in which a lot of black money bags of cement and foodgrains are stated to have been seized. What happens to all that? To me, our Ministers have surreptitiously kept all that blackmoney in their possession. In fact, these Ministers are something different then what they appear to be before us and before the people. They also cry about increase in population, manipulations and food crisis. They never say that their policies can also be wrong.

The system of distribution of fertilizers is so full of corruption that the farmer can get it only at a cost of Rs. 300 a quintal, whereas you expect him to sell his produce at

Rs. 105/. Then, he has to pay a huge amount of levy as well. May I know whether they have ever assessed the actual cost of production? Have they formulated any policy in this behalf?

There has been overnight heavy increase rates of different types of fertilizers as also in charges of water for irrigation. All these things have made the production very costlier and this has added to the worries of farmers.

Government offers fertilisers cement and iron sheets to the farmers who sell their foodgrains to it. But for these things the farmers are put to great harrassment and in very few cases the farmers are able to avail themselves of this facility.

Who increases the prices of different commodities, viz., ghee, soap oils etc? If the Government themselves purchase at Rs. 105 and sell at Rs.158 why should the shopkeepers not indulge in profiteering? HMT watches are now being sold at Rs. 168/- instead of Rs. 138/-. Thus, the Government itself is increasing the prices. Commodities manufactured or produced in Government factories are also being sold at high prices.

They plan to provide power to Rajasthan from a dam in the foothills of Jammu & Kashmir. But why they do not give that to U. P. which is quite nearer? Rajathan should be given power from Atomic power station and also by providing lift irrigation schemes.

Similarly, after the collapse of kotah Bridge, the entire traffic through the kotah dam would not be able to hear with it for long, and may collapse any true. So, please ask the Rajasthan Government to construct the bridge as early as possible. Besides that, Rajasthan canal Schemes should also be given clearance forthwith.

Shri Chandra Bhal Manitiwary (Balrampur).: The economic condition of the country is at the moment very grave and it is high time that we give a very serious thought to finding out effective solutions thereto. I have submitted a 8-page booklet to the Prime Minister in which so many suggestions have been given. I have stated that the currency notes should be withdrawn, the rich persons should have their accounts in the Banks and every account should have the attested copy of the photograph of the account holder. Then, I have suggested a change in the distribution system. Clever traders are quite capable of erading taxes, as a result of which the rich are growing richer. Therefore, effective steps should be taken to stop the circulation of black money.

Then there is a need to reform the administrative machinery also.

Recently, I had given a tip for a raid in my constituency and goods worth lakhs of rupees were seized. But the income-tax officers of U.P. have declare to reveal to me the magnitude of the seized goods and their value . Do they also want to swallow something? Such scandals in Income-tax, excise and sales tax, Departments should be dealt with severely.

Some of our areas are adjoning Nepal border and the customs officials deputed there are getting richer and richer. Truck-loads of cloth, foodgrains and other Commodities are crossing over to Nepal every day without proper check.

I suggest that there should be a all consisting of Members of Parliament to advise the Government in different fields of activities. Our bureaucracy has always not been honest.

Our former Prime Minister, Late Shri Lal Bahadur Shastri had desired that the vacant land beside the railway tracks should be given to the landless people but it is a pity that nothing has so far been done in this behalf. Whatever land has been distributed so far, that has gone to the railway employees who never need that. They are gazetted employees. That land should have been allotted to landless peasants.

Our sensitive borders should be well equipped with telephonic and wireless facilities. Nepal border is a very extensive and we should have telephonic and wireless facilities there. The hon. Minister should look into that aspect also.

Then, the hon. Finance Minister should try to ascertain the quantum of the white money and the black money in circulation in the country. He should present a comparative chart in this behalf.

In my view, the black marketeers and blackmoney holders should be shot dead under the law. Otherwise, it would amount to demoralising the masses in the country.

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : रक्षा मंत्रालय के बारे में दो सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। हालांकि श्री मधु लिमये और श्री एस० एम० बनर्जी यहां उपस्थित नहीं है, तो भी मैं उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा।

श्री बनर्जी ने रक्षा मंत्रालय में सिविलियन कर्मचारियों के लिए एक वर्गीकरण समिति गठित करने की बात कही है। इस संबंध में सरकार ने कई महीने पहले निर्णय ले लिया है। उन्हें डर है कि कहीं यह समिति समाप्त न कर दी गई हो। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि उस समिति को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। हां, उसके लिए संघों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम आने में विलम्ब हुआ था। दूसरे, इस समिति के अध्यक्ष के लिए एक सेवानिवृत्त जज का नाम भी गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाना है। यही कारण है कि समिति के गठन में विलम्ब हुआ है। अब यह समिति दो या तीन मास के भीतर गठित हो जायेगी।

श्री मधु लिमये ने कई बातें उठाई हैं। कानपुर के केन्द्रीय आयुद्ध डिपो में चोरी के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां कोई चोरी नहीं हुई है। 21 मार्च, 1974 को यह खबर थी कि 700 किलोग्राम पीतल गायब है परन्तु सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता से उसे ढूंढ लिया गया और यह मामला केवल रखकर भूल जाने का था। यह माल आस-पास के क्षेत्र में ही मिल गया। श्री लिमये का यह कहना भी गलत है कि किसी पागल को भीतर लाकर उस पर गोली चलाई गई। वस्तुतः एक आदमी चार दीवारी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था और जब वह सन्तरी के कहने से भी नहीं माना तो सन्तरी ने उस पर गोली चला दी थी। सन्तरी की दूसरी गोली उसकी टांग पर लगी और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

श्री लिमये ने यह भी कहा कि डिपो से षडयंत्र करके वैगन बाहर ले जाये गये। वैगन संख्या सी आर 54069 डिपो में 5-6-74 को आई थी और यह सन्देह हुआ कि उसकी सील को किसी ने छेड़ा है। इसलिए उसका माल नहीं उतारा गया। 7-6-74 को जब सुरक्षा अधिकारी ने देखा कि वैगन को एक रेलवे इंजन द्वारा अन्य 53 वैगनों के साथ वापस डिपो से निकाला जा रहा है तो उसने गार्ड से पूछताछ की। गार्ड ने यह स्वीकार किया कि यह वैगन अन्य 53

वैगनों के साथ धोखे से जुड़ गया था। यह मामला रेल अधिकारियों के नोटिस में लाया गया। विवाहित सैनिक अधिकारियों, जो कि अपने परिवार से अलग ड्यूटी पर तैनात हैं, के लिए आवास के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 को निर्णय किया गया कि उनके लिए आवास बनाये जायें। इस समय स्थिति यह है कि सेना में अधिकारियों को 64 प्रतिशत तथा अन्य पदाधिकारियों को 53 प्रतिशत तक आवास उपलब्ध हैं। नौ सेना तथा वायु सेना में ये आंकड़े क्रमशः 42 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत और 69 प्रतिशत तथा 89 प्रतिशत हैं। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है और हमने इस वर्ष के बजट में भी इसके लिए कुछ राशि रखी है। परन्तु जैसा कि सभा को मालूम है वित्तीय कठिनाई की वजह से हम अपना 1961 का कार्यक्रम भी पूरा नहीं कर पाये हैं। तथापि, विवाहित अधिकारियों को निजी तौर पर किराये का मकान लेने तथा उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की सुविधा है। यह प्रतिपूर्ति इतनी राशि की है जितनी कि उसे सरकारी आवास मिलने की स्थिति में खर्च करनी पड़ती। इसी प्रकार की सुविधा जे०सी०ओ० एवं अन्य कर्मचारियों तथा नौ सेना तथा वायु सेना में उन्हीं के समकक्ष लोगों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, 'ए' वर्ग के नगरों में होस्टल आदि बनाकर आवास प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

भट्टी के तेल की विस्कोसिटी के बारे में श्री लिमये के प्रश्न का उत्तर श्री देवकांन्त बरूआ ने दे दिया है। इसमें जहां तक रक्षा मंत्रालय का संबंध है, उन्होंने रक्षा मंत्री को लिखा था और उन्हें उत्तर मिल गया होगा। आज उन्होंने प्रश्न उठाया कि नौ सेना में 100 सी०एस० विस्को सिटी का भट्टी का तेल उपयोग में लाया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye: I did not say that. I had quoted a talex message from Shri C. Y. Rao asking for 100 viscosity Furnace oil. I never mentioned for Navy.

मैंने जो मामले उठाये हैं उनका एक-एक करके उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री जे० बी० पटनायक : मैं उनकी हर बात का उत्तर दे रहा हूं। जहां तक रक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, रक्षा मंत्री ने स्वयं सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है, उनके द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक 'विस्कोसिटी' के भट्टी तेल का इस्तेमाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय नौसेना 80 सी० एस० 'विस्कोसिटी' के भट्टी के तेल का उपयोग करती है।

जब मिग विमानों का निर्माण आरम्भ किया गया था तब 'ओवरहाल' की व्यवस्था नहीं थी परन्तु वर्ष 1970-71 में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड उस विमान का 'ओवरहाल' करने में सक्षम हो गया था। निःसंदेह जब तक उक्त व्यवस्था नहीं थी मरम्मत आदि के लिए मिग 21 विमानों को रूस भेजा जाता था।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रसार को कारगर ढंग से रोकने में असफल रही है। पश्चिम देशों में जहां एक ओर मुद्रास्फीति का प्रसार हुआ है, दूसरी ओर मजूरी में वृद्धि भी हुई है। हमारे देश में मूल्यों में वृद्धि के अनुसार मजूरी में वृद्धि ही नहीं हुई, अपितु इसके विपरीत एक ऐसा विधेयक पास किया गया है कि मजूरी के रूप में जो कोई अतिरिक्त राशि श्रमिकों को मिलेगी उसे अनिवार्य रूप से 1-2 वर्ष के लिए जमा करवाना होगा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिसम्बर 1973 के आंकड़ों के अनुसार, जिन देशों में सब से अधिक मुद्रास्फीति हुई है उनमें भारत का तीसरा स्थान है, पहले दो देश चिल्ली और वियतनाम हैं।

हमारे देश में खाद्य स्थिति और बाढ़ स्थिति बड़ी गंभीर है और कोई भी वस्तु आसानी से तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यहां पर सरकारी वितरण व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। कुछ राज्यों में अनाज की सप्लाई अपर्याप्त ही नहीं बल्कि उसकी किस्म भी घटिया होती है। यह दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बाढ़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च की जा रही है? इसी प्रकार तारापुर में परमाणु बिजली घर है जो महाराष्ट्र और गुजरात को बिजली सप्लाई करता है। गुजरात और महाराष्ट्र, संयुक्त रूप से इसके लिए धन खर्च करते हैं, परन्तु मुझे पता चला है कि इस परमाणु बिजली घर से आन्ध्र प्रदेश को भी कुछ बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश का बिजली देने में हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब तारापुर में बिजली फालतू हो। इसके साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में बिजली का उचित बंटवारा किया जाना चाहिए और बिजली की दर के बारे में भी सभी पक्षों में समझौता होना चाहिए।

उड़ीसा और गुजरात बाढ़ग्रस्त होने के साथ-साथ अभावग्रस्त भी हैं। यह भाग्य की विडम्बना है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में भयानक बाढ़ आई है और कुछ क्षेत्रों में पेय जल भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में केन्द्र सरकार को इस अभूतपूर्व अभाव की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्यों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता देनी चाहिए। उन्हें छठे वित्त आयोग की सिफारिशों की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें राहत कार्यों के लिए वार्षिक योजना के संसाधनों से भी धन जुटाने में संकोच नहीं करना चाहिए।

यदि सरकार यह कहती है कि वे तस्करी रोकने में असमर्थ हैं तो निश्चय ही कुछ गड़बड़ है। जनता निःसहाय हो सकती है, सरकार नहीं। जहां तक, पुलिस के व्यवहार का सम्बन्ध है, उन्हें भलीभांति समझाया जाना चाहिए कि पुलिस और जनता के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिए। अहमदाबाद में 8 और 9 अगस्त को संवाददाताओं पर लाठी प्रहार किया गया जिसकी न्यायिक जांच की मांग अब तक की जा रही है। सरकार ने एक सरकारी अधिकारी को जांच का काम सौंपा है और उन्होंने अभी तक जांच आरम्भ नहीं की है। सरकारी विभागों के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा जांच नहीं की जानी चाहिए। अतः हम इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। यह खेद की बात है कि लोक तंत्रात्मक ढांचे में पुलिस ने जनता के बीच सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार को पुलिस को उचित अनुदेश देने पर विचार करना चाहिए।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): The situation is grave and Government is trying its best to improve it. They have imposed taxes heavily through two budgets. Had it been possible to bring some relief or improvement in this situation, they should have imposed taxes, but the fact is that people are rejected. The Prime Minister has repeatedly asked the people not to be disappointed, but if we go round and meet the people, there is nothing but frustration every where. Last time Government imposed taxes on the plea that there was inflation due to famine conditions, was of Bangladesh and influse of refugees, but the desired results could not be achieved. We thought that our condition may improve after execution of plans but our hopes have been belied.

It is a fact that agricultural growth should be given top priority for national reconstruction, but the farmer is facing enormous difficulties because of increase in prices of inputs.

The prices have increased two fold but the prices of agricultural products have not been increased. There is no incentive for the farmer to increase production in these circumstances. If he gets inputs at higher rates, how can we expect that his produce will be cheaper. The supply of power is also quite irragular. Several reports have been submitted on this subject, but no body takes notes of the recommendations made therein. Government should provide credit facilities to farmers and make available fertilizers at cheaper rates.

There is unpresented famine in 5—7 districts of Rajasthan. Government will have to spend crores of rupees but it will not be done in a planned way. There is no coordination and the relief to the farmer cannot be ensured in haphazard manner. We have suggested several schemes, such as poultry farming, sheep breeding and others to increase production of milk but they have never been implemented. These schemes have been approved by the Commission but they are not executed. It should be clearly understood that if production is not increased, the prices will not come down. Government will go on imposing heavy taxes but the prices will go on increasing manifold. It should not be forgetten that the people cannot wait indefinitely.

The provision for Rajasthan canal should be increased to face the famine condition in that State. The feasibility of lift irrigation schemes should also be examined. I would like to say that emphasies should be laid on the implementation aspect of urbans schemes, only then the production can be increased and problem of inflation solved. No problem can be solved by raising slogans only. It will not be out of place to mention that there are lakhs of wells in Rajasthan but they are not being operated for want of electricity. These wells should be electrified to ameliorate the condition of the people of this region. Similarly, electricity should be supplied for the wells in other States also, so that agricultural production may be increased.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Sidhheshwar Prasad): The Agriculture Commission have submitted a number of reports to Government. One recommentation is regarding the development of desert in Rajasthan. Experts in the Ministries of Agriculture and Irrigation and Power are seriously examining this recommendation.

A reference has been made to the supply of electricity. The position regarding the supply of electricity has improved a lot this year as compared to last year in Delhi and Damodar Valley Corporation. There has also been improvement in industrial relations so far as employees engaged in the production of electricity are concerned.

There is further need to augment the production of electricity. In the Fifth plan we propose to generate three times more than eletricity generated in Fourth Plan. In order to achieve this target, reorganization of the industry is urgently needed. This was considered recently in a meeting of irrigation Ministers. This matter falls within the jurisdiction of the states. At the central level, we propose to constitute a Central Authority. A decision has already been taken to implement the electricity supply Act. A Bill will be brought in the House very soon.

As regards All India Central Grid, it was decided in the Fourth Plan that where inter-state transmission times are to be laid, the Central Government will finance them the work of laying transmission lines is to be done by the State Electricity Boards. But if they are not found able to do this work due to one reason or other, we may have some central authority to do the same.

A reference has been made to the tours of the Prime Minister. The Cabinet has constituted a high-powered Committee under the Chairmanship of the Prime Minister which will go into the question of augmenting agricultural production. The Prime Minister is undertaking tours in this connection and the tours are yielding good results.

Special attention is being paid to irrigation and power in the Fifth Plan. In spite of financial constraints, no cuts are being effected in this field.

The projects of Muhani and Tilayya are being studied but the report of the study has not so far been received the Government of Bihar will be asked to expedite the matter.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) हमने बिजली कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल पर सरकार की प्रतिक्रिया जाननी चाही है। डा० र ज की कार्याविधि में एक समिति नियुक्त की गयी थी परन्तु किसी ने उसे समाप्त कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं,। क्या सरकार उनके अनुरोध पर ध्यान देगी ?

Prof. Sidheshwar Prasad: I would like to say this much only that the power industry is a state subject under state electricity Board. Our Labour Minister Shri Reghunath Reddy is looking into it and I hope the problem will solved very soon.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shahnawaz Khan): A reference has been made to the high prices of fertilizers. It is a fact that the prices of fertilizers have gone up. The prices of urea in almost double now. The reasons is that the import price of Neptha has gone up from 2 dollers 85 cent per barral to 10-11 dollars. The import price of urea is Rs. 3000 per tonne but Governnment is supplying it to the farmers at a subsidized rate of Rs. 2000 per tonne.

Shri Natwar Lal Patel (Mehsana): Since the Government have created a stabilisation found to meet the difference between the purchase price and the sale price of the fertilizers it is not proper to claim by the Government that they supply fertilizers to the farmers at subsidized rates. Thus the entire burden is on the kisans.

Shri Shahnawaz Khan: I have already replied to it. Secondly, we have not increased the price of diesel oil.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : केवल 400 रुपया प्रति टन का अन्तर है तथा यह अन्तर कोई विशेष नहीं है। इसके अतिरिक्त देश में उत्पादित अशोधित तेल के लिए मंत्रालय आसाम या गुजरात को अतिरिक्त धनराशि नहीं दे रहा । इस स्थिति में मंत्री महोदय का यह तर्क न्यायसंगत नहीं है ।

Shri Shahnawaz Khan: The figures given bythe hon. member are not correct. The indegenous production of crude oil is of the order of 7 to 7.5 million tones and we have to

import 13 to 14 million tones of crude from the foreign countries. We are paying a much higher price for imported crude and we are supplying naptha for fertilizers at a very much cheaper rate of Rs. 486.31 per tonne. We import fertiliser at Rs. 3,000 per tonne and supply it to the farmers at Rs. 2,000 per tonne.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय मांग संख्या 48 और मांग संख्या 53 के अन्तर्गत सरकार ने उन तिथियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया जब भारत की आकस्मिक निधि में स धनराशि निकाली गई थी। मेरा आशय यह है कि यदि वह धनराशि 31 मार्च 1974 से पहले निकाली गई थी तो उसका वित्तीय वर्ष 1974-75 से कोई सम्बन्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुपूरक बजट दो ही स्थितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक तो तब जब वार्षिक बजट में मांगी गई धनराशि उसी वर्ष के लिए कम पड़ जाये तथा दूसरे तब जब उसी वर्ष कोई नई सेवा आरम्भ की जाये जिसके लिये उस वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था न की गई हो। यहि यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में खर्च की गई तो इसकी अब इस प्रकार मांग नहीं की जा सकती। अतः यदि यह धनराशि 31 मार्च से पहले खर्च की गई है तो उसे अनुपूरक अनुदान के रूप में नहीं मांगा जा सकता उसे अतिरिक्त मांग के अंतर्गत रखा जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, it has been stated in the Book of Kaual and Shakdhar at page 630 that 'demands for money already spent in excess of the voted grants, are not, therefore, met by way of supplementary Grants'.

The amount in question was spent during the last financial year. The provision of article 115 (B) of the Constitution should also be kept in mind while dealing with the supplementary demand of the ministry. I seek your ruling on this point. In this situation I suggest that the Appropriation Bill should be postponed. If the hon. Minister wants to say something we are prepared to hear him.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय! अनुपूरक मांगों के नाम पर हमसे अतिरिक्त मांगों को पास किये जानें के लिए कहा जा रहा है। स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह धनराशि मार्च के महीने में खर्च की गई थी। यह 352 करोड़ रुपये की धनराशि का सवाल है। मेरा अनुरोध है कि इस राशि को अनुपूरक अनुदान के शीर्ष से हटाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कि विशेष व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय यदि पहले वाद-विवाद का उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : I suggest that the hon. minister may reply to the debate and to the point of order. But this Bill should be taken up on Monday.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : इस मामले में कुछ संवैधानिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी चर्चा के परिणामस्वरूप वाद विवाद बहुत व्यापक रहा है। इसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया तथा उन्होंने मुद्रास्फीति की गम्भीर समस्या के अतिरिक्त अन्य मामलों पर भी प्रकाश डाला। सिंचाई और विद्युत, रक्षा, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रियों ने वाद-विवाद के बीच में बोल कर अनेक विशिष्ट बातों का उत्तर दे दिया है। खाद्य मंत्री आज उपस्थित नहीं हैं। मैं अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख बातों का उत्तर दूंगा।

इन मांगों का सम्बन्ध खाद्यान्न के लिये सहायता से है, जो लगभग 125 करोड़ रुपये की है, रक्षा सेवाओं के लिये 25 करोड़ रुपये और यह महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश के लिये 152 करोड़ रुपये की मांगे हैं। एक ओर जहां सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाये रखने के लिये इतनी गम्भीर है, दूसरी ओर सरकार महसूस करती है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया जाना चाहिये। यह सरकार के इस उत्साह का घोतक है कि मुद्रा सम्बन्धी विभिन्न उपाय करके मुद्रास्फीति को दूर करना है और दूसरी ओर महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है। यह कार्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के द्वारा करना है जिसके लिये 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जहां तक मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक संख्या 2 पर बोलते हुये पहले ही सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है। अनुपूरक बजट, रेल बचट, मुद्रा की सप्लाई को रोकने वाला अध्यादेश जैसे विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनसे सरकार की इस मामले के बारे में गंभीरता का पता चलता है।

वित्त मंत्री यह पहले ही कह चुके हैं कि इन उपायों का प्रभाव कुछ समय बाद दिखाई देगा। सरकार को यह आशा है कि ये सब उपाय धन की अधिक उपलब्धता को कम करने में सहायक होंगे। जो अन्य उपाय किया गया है उसका सम्बन्ध बैंक दर में वृद्धि से है। उससे सार्वजनिक व्यय में कमी होगी। इन अनुपूरक मांगों में बताया गया है कि मितव्यायिता कैसे लाई जायेगी। सरकार को दो उच्च शक्ति प्राप्त समितियां योजना और गैर योजना, दोनों ही प्रकार के खर्च में अनुत्पादक खर्च में कमी करने की गुंजाइश की जांच कर रही है।

वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास किये गये हैं।

इस सभा में वाद-विवाद इस प्रकार चलता है कि मानो बहुत गम्भीर प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया जाता हो। एक माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि घाटा किस प्रकार का ओर कितना होगा। इन अनुपूरक मांगों में हमने सरकार द्वारा दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते का संकेत दिया है। औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के वर्तमान रूख के आधार पर सरकार को अपने कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंहगाई भत्ता देना होगा। अतः यह आवश्यक हो सकता कि सरकार को इस वर्ष बाद में अनुपूरक मांगें रखनी पड़े। यह मंहगाई भत्ते से संबंधित बात है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अनुपूरक मांगें लाने पर बजट में घाटा 126 करोड़ रुपये से अधिक का हो जायेगा। यह बात सभा के समक्ष है कि वित्त विधेयक संख्या 2 में 123 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायेंगे और योजना तथा गैर योजना व्यय में 200 करोड़ रुपये तक की मितव्ययिता की जायेगी। सरकार का यह सुनिश्चित करने का यह भी इरादा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने मुनाफे में वृद्धि करें और घाटे को कम करें। मैंने ये जो उपाय गिनायें हैं, इन सब सहित सरकार की यह आशा है कि वजट के घाटे को उसी स्तर पर रखा जाये जितना दिखाया गया है।

काले धन का भी प्रश्न उठाया गया है। मुद्रा स्फीति विरोधी नीति के अनुसार काले धन चोर बाजारी और अन्य समाज विरोधी प्रथाओं को समाप्त करना होगा। वित्त मंत्री तथा मैंने विभिन्न अवसरों पर प्रश्नों के उत्तर मैं कहा है कि इस मामले में समेकित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

इस कार्य के लिये राज्य के पास विभिन्न एजेंसिया हैं। चाहे आपका हो, या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, बिक्री कर हो या अन्य विनियमन उपाय, इन सब को एक जुट होकर कार्य करना है। माननीय सदस्यों

को ज्ञात है कि हाल ही के महीनों में काले धन के साधनों का पता लगाने और उसकी जमाखोरी को रोकने के लिये छापे मारे गये हैं। मेरा यह दावा नहीं है कि इन छापों से समस्या का हल निकल आयेगा। यह तो काला धन रखने वालों के मन में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करने के लिये है। छापों के अतिरिक्त बड़े क्षेत्र में की जाने वाली गड़बड़ी की भी व्यापक जांच करनी होगी। प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा गठित विशेष सैल द्वारा यह काम किया जा रहा है। आय कर तथा धन कर के कई मामले चलाये गये हैं और कुछ मामले उच्च न्यायालय में भी गये हैं। तीसरा प्रश्न काले धन का है। आये दिन कालाधन विशाल भवनों, सोने तथा वैभवशाली जीवन व्यतीत करने के अन्य साधनों में लगाकर, उसका रूप बदला जा रहा है। इन सभी संसाधनों पर आक्रमण करना वित्त मंत्रालय का कार्य है तथा हम विभिन्न निकायों का समन्वय कर इसके बारे में कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री सेझियान ने अपने ही रोजगार में लगे हुये ऐसे व्यक्तियों का प्रश्न उठाया है जो कर अपवंचन कर रहे हैं। दो वर्ष पूर्व एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके अनुसार यह पता चला कि इस वर्ग के अधिकांश लोगों द्वारा कर अपवंचन किया जा रहा है यह खेद की बात है कि समाज के सम्पन्न लोग कर अपवंचन में लगे हुये हैं।

मैं यह संक्षेप में यह स्पष्ट कर दूं कि जब मैंने सत्याग्रह की बात की भी तो उस समय मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि जनता अवगत नहीं है, अपितु मेरा आशय था कि जनता की भावनाओं को और अधिक उत्तेजित करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों जैसे कर्मचारी बढ़ाने, तेज नावों तथा वायरलैंस आदि की समुचित व्यवस्था द्वारा तस्करी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस कार्य में पहले से कहीं अधिक तेजी आ गई है। विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हमें आर्थिक अपराधों को समुचित रूप में देखना होगा। इस कार्य के लिये आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग करने का विचार भी किया जा रहा है।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने तथा विशेष रूप से श्री बनर्जी ने केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की घटनाओं के प्रश्न को उठाया है: मुझे आशा है कि आज गृहमंत्री महोदय इसके बारे में वक्तव्य देंगे। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार नहीं किये जाने चाहिये।

श्री बैनर्जी ने ही विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों की बात भी उठाई है। प्रत्येक देश को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। कुछ ऐसे अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं जहां भारत को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करना पड़ता है। भारत अनेक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य है। इतना ही नहीं हमारे अनेक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को विदेशों का दौरा करना पड़ता है। अतः भारत को इस प्रकार की अनेक औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है। परन्तु इन सब कार्यों के लिये जो विदेशी दौरे करने पड़ते हैं, उनकी प्रक्रिया हमने काफी कड़ी कर दी है। इसके लिये काफी, उच्चतम स्तर पर स्वीकृति दी जाती है। कुछ मामलों में प्रभारी मंत्री की स्वीकृति अपेक्षित होती है तो मंत्रियों को प्रधानमंत्री की स्वीकृति अपेक्षित होती है। अतः हमारा भरसक प्रयास यही रहता है कि प्रतिनिधिमंडलों की संख्या कम से कम हो।

श्री मधु लिमये द्वारा मिलिंग के मुनाफे का प्रश्न भी उठाया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यही बताना चाहता हूं कि यह मामला अपेक्षित जानकारी -देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा गया है। जब भी उनका उत्तर आ जायेगा, सभा को उससे अवगत करवा दिया जायेगा। यहां मैं यह भी बता दूं इसके बारे में एक फार्मूला बनाया गया है जोकि वर्मा समिति की सिफारिशों पर आधारित

है। चावल तथा गेहूं के विक्रय मूल्य के आधार पर इस फार्मूले में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा इसमें परिवर्तन करने की मांग की जा रही है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा मांग संख्या 38 का प्रश्न भी उठाया गया है। जिस 70 लाख रुपये की धनराशि का उल्लेख किया गया है, वह धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के व्यय को पूरा करने के लिये है। यह संगठन गैर-सरकारी निक्षेपों के कार्य की देख रेख भी करेगा।

श्री नाथू राम मिर्धा, द्वारा अनेक प्रश्न उठाये गये है। वहां तक उनके द्वारा कृषि सम्बन्धी उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके बारे में मुझे यही कहना है कि हम यह मानते हैं कि कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिये। कृषि कार्य में लगे हुये लोग इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वह चाहे तो किसानो आदि की काफी सहायता कर सकते हैं।

वर्तमान मुद्रास्फीति के दबाव में हमें घाटे की अर्थव्यवस्था को एक अपेक्षित स्तर तक बनाये रखना पड़ता है। इसके सम्बन्ध अन्य सभी बातों को हमें गौण रखना पड़ता है। यही कारण है कि उर्वरक, बिजली तथा अन्य सम्बन्ध वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं की जा सकती। संसाधन जुटाने की समस्या भी इसी से सम्बन्ध है। संसाधन हम छोटे छोटे नहीं अपितु व्यापक क्षेत्रों से जुटा सकते हैं तथा इसमें कृषि क्षेत्र का कार्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस सम्बन्ध में भूमि सुधार की हो सकती है। भूमि सुधार बड़े पैमाने पर किये जाने पर ही हरित क्रांति हो सकती है।

जहां तक सूखे तथा बाढ़ का सम्बन्ध है, इसके लिये जो कुछ भी पांचवे बित्त आयोग द्वारा कहा गया है, उसके अतिरिक्त हम विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मिल कर इस विषय पर विचार विमर्श करते रहे हैं। अभी गुजरात के राज्यपाल ने भी वित्तमंत्री से मिलकर इसके बारे में बातचीत की है। अतः केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता देने के इस प्रश्न पर चर्चा चल रही है परन्तु इसके बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व हमें प्राकृतिक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इस समय मैं इसके बारे में इससे अधिक कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मांगों को पारित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सोमवार के ग्यारह बजे तक के लिये सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 2 सितम्बर 1974/11 भाद्र 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, September 2, 1974/ Bhadra 11, 1896 (Saka).

MGIPRRND—IV (N.S.) —32 LSS/74—20-11-74—490.